



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट



E-Mail : [cepwdkapkot@rediffmail.com](mailto:cepwdkapkot@rediffmail.com)

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक २७५ /२६०

दिनांक १५ / ०२ / २०२५

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्द्रिराजनगर फारेस्ट कालोनी  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में ऑनलाइन अनुपालन आख्या अपलोड एवं राज्य सरकार को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हॉ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० **FP/UK/ROAD/10468/2015** की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 804/X-4-16/1(230)/2016 प्राप्त हुयी थी। जिसकी विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आफलाइन आपके कार्यालय पत्रांक सं० 173 / **FP/UK/ROAD/10468/2015** दिनांक 28.01.2023 द्वारा सचिव वन अनुभाग-३ उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गयी थी (छायाप्रति संलग्न), परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर राज्य सरकार को प्रेषित नहीं हो पायी है।

अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर राज्य सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।  
संलग्न—पत्र की छायाप्रति।

पत्रांक / दिनांक /०२/२०२५

प्रतिलिपि:-

- जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक अभियन्ता प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्यमंत्री  
AI/१५०२/२५  
(इ० अमित कुमार पटेल)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

पत्रांक-

/FP/UK/ROAD/10468/2015 देहरादून: दिनांक: २४ जनवरी 2023

सेवा गे.

सचिव,  
वन अनुभाग-3,  
उत्तराखण्ड शारान।

विषय:-

जनपद वागेश्वर के अन्तर्गत कोडीदेवी रो झाकरा तक 3.00 किमी गोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कारों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्थन।

रांदणी :-

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शारान की पत्र रांख्या 804/X-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12-08-2016

गहोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का रांझान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शारान द्वारा विषयाकृत प्रकरण में कठिपय शर्तों के तहत रौद्रान्तिक रवीकृति निर्गत की गई है। रौद्रान्तिक रवीकृति में अधिरोपित शर्त की अनुपालन आख्या प्रमाणीय वनाधिकारी, वागेश्वर वन प्रभाग, वागेश्वर के पत्रांक 2815/12-1-2 दिनांक 19.01.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई रूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	रौद्रान्तिक रवीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पश्चि में भूत्यात्तित भूमि के बदले 2.94 है 0 रिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को रामाहित करने हेतु यथा रांशोधित) जमा की जायेगी। उक्ता भूमि वन विभाग के स्थानित के बाहर है इसी वन विभाग के पश्चि में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः गाह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि वन हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही रौद्रान्तिक रवीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.94 रिविल सोयम भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखा हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को रामाहित करने हेतु यथा रांशोधित) रु0 12,53,481.00 ऑनलाईन चाल के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (रांलग्नक-1) उक्त रिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी दिया गया है। अगलदरामद की प्रति रांलग्न कर पो की जा रही है। (रांलग्नक-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतावित रथाल के आस-पास रिवत पड़े रथानों पर यथोन्नित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को रामाहित करने हेतु यथारांशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रतावित रथाल के आस-पास रिवत पड़े रथानों यथोन्नित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव आवश्यक धनराशि रु0 8,19,275.00 ऑनलाईन चाल के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (रांलग्नक-1) के अनुरूप शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण गा०० उच्चातम न्यायालय के रिट प्रिटीशन (R 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०ए०१०-५६६ IA 556 एवं भारत राजकार पत्र संख्या 5 5-३/२००७-एफ०री०० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिगे गये आदेशानुसार शुद्ध वर्ताग्न पूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गा०० उच्चातम न्यायालय के रिट प्रिटीशन (रिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०ए०१०-५६६ IA नगर 556 एवं भारत राजकार पत्र संख्या 5-३/२००७-एफ०री०० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिगे गये आदेशानुसार शुद्ध वर्ताग्न पूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण गा०० उच्चातम न्यायालय के रिट प्रिटीशन (R 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०ए०१०-५६६ IA 556 एवं भारत राजकार पत्र संख्या 5 5-३/२००७-एफ०री०० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिगे गये आदेशानुसार शुद्ध वर्ताग्न पूल्य (एन०पी०वी०) निर्धारित धनराशि रु0 9,65,790.00 ऑनलाईन चाल माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (रांलग्नक-1 के अनुरूप)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वर्तनवत्ता प्ररकृत करेंगे कि राधाम स्तर से गये एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में यदि राधाम एन०पी०वी० की वर्तीगान दरों में यदि वृद्धि की जा तो प्रयोक्ता एजेंटी द्वारा वही हुई एन०पी०वी० धनराशि जमा की जायेगी। वर्तनवत्ता प्ररकृत रांलग्न है। (रांलग्नक-3)

5	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा पारत सरकार पर 5 राखा 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के बहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०-म० तथा कृती रामी निवासी पत्रिष्ठि पौधारोपण निवि प्रत्यवान तथा जोजना प्राधिकरण (CAMPAL) के तदर्थि निकाय के द्वेषा राम०-एरा०सी०-25229 कापौरेशन वैक (आगरा राजकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 गृहल रोड०जी०ओ० कामपली-पारा, फैजल-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की घटायपति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रापट/चेक की घटायपति राहित प्रत्याव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का पदवार विवरण अर्थात् एन०पी०-म०, दृष्टिपूरक गृहारोपण प्रत्यावित रूपाल के आरा-पारा वृशारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्मित रवीकृति गाया होगी।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वाय आरत सरकार पर 5 राखा-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के बहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०-म० की द्वेषा धनराशि रु० 9,65,790.00, दृष्टिपूरक गृहारोपण की धनराशि रु० 12,53,481.00 तथा प्रत्यावित रूपाल के आरा-पारा रिवत पहे रूपानी पर यथोचित गृहारोपण पर 10 वर्षी चक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 8,19,275.00 अर्थात् कुल धनराशि रु० 30,38,546.00 जालान के गव्याम रो केमा कोष में जमा की जा युक्ती है। धनराशि की पुष्टि हेतु जालान की पति संलग्न कर प्रेपित की जा रही है। (रांगनक-1 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावित निर्माण कार्यों के लिये जनपद कार्यवल की संरक्षितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई रो अनुपालन किया जायगा।	शर्त राखा-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वाय प्रत्यावित निर्माण कार्यों के लिये जनपद कार्यवल की संरक्षितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई रो अनुपालन किये जाने का वचनकद्वाता प्रगाण-पत्र संलग्न है। (रांगनक-4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त राखा-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेपित किये जा रहे हैं। (रांगनक-5)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्याव में निहित किरी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा अरांगोजानक अनुपालन होने की रिखति में सञ्चय राजकार, प्रगाणवरण, वन एवं जलवायु परिक्रीन प्रगाणवाय द्वारा रवीकृति को निरस्त करने का अधिकार युक्तिहृत है।	शर्त राखा-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्याव में निहित रामी निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में निविवत उपरोक्त रामी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।	शर्त राखा-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त रामी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-एफ०सी०(Vol-I), दिनांक 06-01-2022 के आदेशानुसार बही हुयी एन०पी०-म० की धनराशि जमा की जानी अपेक्षित है। प्रकरण पर विविवत रवीकृति अधिरिक धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त ही जारी किया जाना उचित होगा। अतः प्रगाणीय वनाधिकारी द्वारा प्रेपित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किया जाने पर विचार करने का काट करें।

रांगनक-यथोपरि।

शब्दीय,

(एरा०एस० रसाइली)

अपर प्रगुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

राखा-1782/EP/UK/ROAD/10468/2015 दिनांकित।

- प्रतिलिपि :- प्रगाणीय वनाधिकारी, वामेश्वर वन पाराग, वामेश्वर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से विविवत कियागत प्रकरण पर भारत सरकार के आदेश दिनांक 06-01-2022 के अनुसार बही हुयी एन०पी०-म० की धनराशि जमा करवाना सुनिश्चित करें, याकि प्रकरण पर विविवत रवीकृति जारी की जा सके।
- प्रतिलिपि :- अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, नोडल, कपकोट, वामेश्वर को शूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

(एरा०एस० रसाइली)

अपर प्रगुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

४३१